सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर

वादीगण :–

1. चन्द्रवीरसिंह 2. गजेसिंह 3. नेपालसिंह 4. किशनसिंह पि0 इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव, जिला बाड़मेर

प्रतिवादी :–

श्रीमती जड़ाकंवर पत्नी इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव,

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 का0 अधि0 **राजस्व वाद :– 176/2018**

28.06.2018	वादीगण ने बमुकाम लोक अदालत कैम्प बलाई उपस्थित होकर इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादिनी की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त हक की भूमि ख0 न0 302 रकबा 141.04 बीघा ग्राम सवाईसिंह की बस्ती तहसील शिव, ख0 न0 71 रकबा 80.16 बीघा ग्राम बलाई तहसील शिव एवं ख0 न0 338 व 408 कुल रकबा 640.18 बीघा ग्राम फतेहनाडा तहसील शिव में अवस्थित है। वक्त बन्दोबस्त उक्त भूमि वादीगण के पितामह प्रागसिंह पुत्र हिम्मतसिंह की खातेदारी में दर्ज हुई थी। प्रागसिंह ने जरिये दानपत्र वादग्रस्त भूमि प्रतिवादिनी, जो वादीगण की माता है, के नाम हस्तान्तरित की थी। इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी सम्पति की है और पक्षकार जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शाषित होते हैं और इस प्रकार वादीगण स्वयं को प्रतिवादिनी के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के हकदार हैं। मौके पर वादीगण का प्रतिवादिनी के साथ संयुक्त कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के रिकार्ड में अपनी प्रविष्टि अंकित नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण – अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः वादीगण ने रिकार्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए स्वयं को प्रतिवादिनी के साथ सहखातेदार घोषित करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से रिपोर्ट तलब की गई, मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य में चन्द्रवीरसिंह पी.डब्लू. 1 एवं जड़ाकंवर पी.डब्लू. 2 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादिनी ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने साथ वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने जड़ाकंवर का वारिस प्रमाणपत्र प्रदर्श 1, वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श 2 व 3, वादग्रस्त भूमि की तीनों ग्रामों की जमाबन्दियां प्रदर्श 4 से 6, उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

11.07.18
प्रतिलिपि 1/7/18

से 9 तथा पक्षकारान के अन्य दस्तावेजात प्रदर्श 10 से 15 प्रस्तुत किये।

हमने पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। सरपंच ग्राम पंचायत बलाई द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाणपत्र के अनुसार प्रतिवादिनी के वारिसान में वादीगण ही हैं और उनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है। बन्दोबस्त दस्तावेज के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादिनी की पुश्तैनी है। मजमे आम में की गई पूछताछ से वादग्रस्त भूमि पर अन्य सहखातेदारान के साथ वादीगण एवं प्रतिवादिनी का संयुक्त रूप से कब्जाकाश्त है। तहसीलदार शिव की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी होने तथा गवाहान के शपथपत्रों से उक्त भूमि पर पक्षकारान का संयुक्त रूप से कब्जाकाश्त होने की पुष्टि होती है। पक्षकार जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शाषित होते हैं और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार दादा की सम्पति होने से वादीगण का उक्त भूमि में जन्मतः हक है। ऐसी सूरत में उक्त भूमि में बतौर खातेदार वादीगण के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहनाडा तहसील शिव की खसरा नम्बर 338 रकबा 275.03 बीघा, ख0 न0 408 रकबा 365.15 बीघा, ग्राम सवाईसिंह की बस्ती तहसील शिव के ख0 न0 302 रकबा 141.04 बीघा तथा ग्राम बलाई तहसील शिव की ख0 न0 71 रकबा 80.16 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड की शेष प्रविश्टियां यथावत रखते हुए वादीगण को प्रतिवादिनी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को बमुकाम कैम्प बलाई सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर, शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner